राजस्व अपील संख्या – 29/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/54

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 29/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/54

अपीलांटः–

जबर सिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी नाहर सिंह नगर, तेना, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

तहसीलदार, शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 691 ग्राम नाहर सिंह नगर, तेना को दिनांक 27.12.2021 को अस्वीकृत किया गया।

उपस्थित –

अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत (अपीलांट की ओर से)

निर्णय दिनांक– 23.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम नाहर सिंह नगर, पटवार हल्का तेना, तहसील शेरगढ के नामांतरकरण सं. 691 पर पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्ध अपीलांट जबर सिंह द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16.08.2022 को पेश की गई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, एक मात्र प्रत्यर्थी तहसीलदार शेरगढ को नोटिस जारी किये गये तथा आक्षेपित मूल नामांतरकरण से संबंधित अभिलेख तलब किया गया।
3. अपील मीमों के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत खातेदारों के खेतों में चल रहे कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश, उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा दिनांक 26.11.2021 को पारित किया जाने पर पटवारी हल्का तेना ने तहसीलदार के आदेश

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 29/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/54

दिनांक 16.12.2021 की पालना में नामांतरकरण सं. 691 दर्ज किया है परंतु उक्त नामांतरकरण को दिनांक 27.12.2021 को तहसीलदार शेरगढ द्वारा विना किसी आधार के अस्वीकृत कर दिया है, जो उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित आदेश की पालना में ही दर्ज किया गया है तथा जब तक उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक नामांतरकरण को तहसीलदार स्तर से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी खातेदारान ने आदेश दिनांक 26.11.2021 बाबत एतराज नहीं किया है फिर भी तहसीलदार ने पहले नामांतरकरण स्वीकार किया तथा बाद में स्वीकार शब्द के आगे 'अ' जोडकर अस्वीकार किया, जो गलत है। उक्त अस्वीकृत आदेश दिनांक 27.12.2021 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 15.07.2022 को नामांतरकरण की नकल लेने पर हुई। अपीलांट इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता है। अतः जानकारी की तारीख से अपील अंदर म्याद पेश कर निवेदन है कि नामांतरकरण सं. 691 को स्वीकृत किया जावे।

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों का ही कथन किया कि तहसीलदार शेरगढ़ ने दिनांक 27.12.2021 को शिकायत प्राप्त होने के आधार पर नामांतरकरण अस्वीकार किया है। ऐसी कोई शिकायत नामांतरकरण के संलग्न नहीं है तथा जब तक उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2021 अपास्त नहीं होता है, तब तक नामांतरकरण को अस्वीकार करने का तहसीलदार को कोई अधिकार ही नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश का रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार स्वयं ने दिनांक 16.12.2021 को आदेश नामांतरकरण दर्ज करने का जारी किया है।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर, उस पर मनन किया तथा अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। संबंधित विधि प्रावधानों का अध्ययन किया।

6. अपीलांट द्वारा इस अपील को पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलांट को तहसीलदार द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 29 / 2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024 / 54

27.12.2021 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.07.2022 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई। प्रार्थी ने अपील मीमों के पैरा सं. 5 में भी यह उल्लेख किया है कि अपीलांट इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता है इसलिए आदेश का रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 15.07.2022 को प्राप्त हुई, जिसमें पटवारी ने उसे बताया कि तहसीलदार ने नामांतरकरण अस्वीकार कर दिया है चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाहियों में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अतः नामांतरकरण सं. 691 पर अस्वीकृति के आदेश दिनांक 27.12.2021 की जानकारी होने का कोई सबूत नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर यह न्यायालय अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित समझता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन की जाती है तथा अपील को अंदर म्याद प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाना उचित है।

7. (a) अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 691 के कॉलम सं. 14 में अंकित नोट अनुसार "यह नामांतरकरण, उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व / प्र.गा.सं.अ. / 2021 / सम / 406 दिनांक 26.11.2021 व तहसीलदार शेरगढ के आदेश क्रमांक भू.अ. / 3046 दिनांक 16.12.2021 की पालना में दर्ज किया गया है तथा ग्राम नाहर सिंह नगर के ख.नं. 9 / 8, 10 / 8, 61 / 4, 59 / 1, 58 / 1, 11 / 2, 10 / 9, 9 / 9 के रूप में भूमि विभिन्न क्षेत्रफल की गै.मु. रास्ता की भूमि मूल खातेदारों के खातो में ही रखी गई है एवं सिर्फ भूमि की किस्म बारानी से बदलकर गै.मु. रास्ता अंकित की है, जिस बाबत तहसीलदार, शेरगढ के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी ने आदेश पारित किये है।

(b) अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व / प्र.गा.सं.अ. / 2021 / 406 दिनांक 26.11.2021 की फोटो प्रति पेश की है, जिसके अनुसार यह आदेश जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्रांक राजस्व / प्र.गा.स.अ. / 2021 / 5777–5864 दिनांक 29.09.2021 तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 एवं प्रशासन गांवों के संग

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अभियान 2021 के अनुसरण में चालू, सनातन, कदीमी व स्थाई रास्तों के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अधीन, तहसीलदार, शेरगढ के पत्रांक भू.अ. /2021/810 दिनांक 23.11.2021 के संलग्न प्रेषित सूची अनुसार ग्राम नाहर सिंह नगर के ख.नं. 9, 61/3, 59, 58, 11/1, 10/4, 10/2, 9/7 में से क्रमशः 11, 10, 4, 6, 13, 11, 11 व 10 बिस्वा भूमि का पृथक से खसरा नंबर कायम किया जाकर ''किस्म गैर मुमकिन रास्ता'' दर्ज करने के आदेश पारित किये है तथा तहसीलदार, शेरगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संलग्न नक्शा को आदेश का अभिन्न अंग माना है तथा निष्पादन के लिए आदेशानुसार रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिये है।

(c) उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ ने उक्त आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के अंतर्गत उक्त आदेश भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित किये है। राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(183)/Rev./B/56 दिनांक 17.09.1956 से धारा 131, 132 व 136 के तहत भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां उपखण्ड अधिकारियों को प्रत्यायोजित की है तथा भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील धारा 75(1)(f) के अंतर्गत निदेशक, भू अभिलेख/संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को होती है। अतः जब तक उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2021 अपील में अपास्त नहीं किया जाता है तब तक राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 128/125 के प्रावधानों अनुसार राजस्व नक्शों/अभिलेखों में जरिये नामांतरकरण अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नियमों के तहत बाध्य है।

(d)राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/पार्ट दिनांक 10.08.2016 से मौके पर चालू सार्वजनिक कदीमी रास्तों को बाद जांच रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में खातेदार के नाम ही भूमि दर्ज करने के आदेश दिये है तथा लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

हस्तगत प्रकरण में उक्त विवरण की भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव तहसीलदार, शेरगढ स्वयं ने पत्रांक भू.अ./2021/810 दिनांक 23.11.2021 से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किये है तथा अपने स्वयं के प्रस्तावों के आधार पर पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पालना हेतु स्वयं द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.12.2021 की अवहेलना करना गंभीर दुराचरण है। अगर कोई पक्षकार, उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.11.2021 से असंतुष्ट/व्यथित है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र था/है। तहसीलदार द्वारा अपने स्तर से ही स्वयं के व उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में दर्ज किया गया नामांतरकरण अस्वीकार करना बिना अधिकार व पद का दुरूपयोग करने तथा मनमाना होने की श्रेणी में आता है तथा यथावत रखने योग्य नहीं है।

(e) उपर्युक्त के अतिरिक्त, पटवारी द्वारा भी नामांतरकरण सं. 691 की पुश्त पर नियम 125 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित खसरों की भूमि का तरमीम अक्ष भी नहीं खींचा है तथा भू.अ. निरीक्षक ने भी जांच के दौरान उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित नहीं की है, जबकि उपखण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 26.11.2021 के संलग्न तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 23.11.2021 व नक्शा भेजकर, उसी अनुसार नक्शों/रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये है। उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों की अवहेलना में आता है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है तथा ग्राम नाहर सिंह नगर के नामांतरकरण सं. 691 पर तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

आदेश

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम नाहर सिंह नगर के नामांतरकरण सं. 691 पर तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अगर उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2021 को अपील में अपास्त नहीं किया है या कोई अपील विचाराधीन नहीं है तो आदेश अनुसार रिकॉर्ड/नक्शों में नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

10. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, शेरगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरंत लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 29 / 2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024 / 54

11. प्रकरण में लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

12. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट • जोधपुर •

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर